

॥ मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख ॥

विषय:— मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर सौपने हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना, राज्य में अवस्थित एक प्रतिष्ठित स्टेडियम है। पूर्व में यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन होता रहा है। वर्तमान में यह काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक-03.02.2023 को इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना तत्कालिन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद पुनः दिनांक-09.02.2024 को नवगठित खेल विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उक्त स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया।

3. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-01/2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) जोड़ा गया तथा उसके अधीन कंडिका-1 में आवंटित कार्य के आलोक में खेल-कूद के विकास से संबंधित सभी कार्यों को किये जाने की आवश्यकता है।

4. खेल विभाग, बिहार, पटना के गठन के उपरांत मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण हेतु भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर सौपने हेतु सैद्धांतिक सहमति की आवश्यकता है। इसके पुनर्निर्माण होने के उपरांत कई अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन होने की संभावना है। इससे राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा एवं साथ ही राज्य में खेल के विकास को भी बल मिलेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

5. विदित हो कि देश के कई अन्य राज्यों में भी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) द्वारा दीर्घकालीन लीज पर जमीन प्राप्त कर स्टेडियम का निर्माण/पुनर्निर्माण कराया गया है। ऐसे सभी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन होता रहा है, जिससे

जाँच पत्र

1. विभाग का नाम:— खेल विभाग
2. संचिका संख्या :— 01/खेल-04/2024..... /
3. प्रस्ताव का विषय :— मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।
4. क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है? हाँ
5. क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है? हाँ
6. जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं? हाँ
7. व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं? आवश्यक नहीं
8. यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है? आवश्यक नहीं
9. क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है? हाँ
10. क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है। आवश्यक नहीं

- ख यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है? आवश्यक नहीं
- ग क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है। आवश्यक नहीं
- 18 क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:- आवश्यक नहीं
- (क) (i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है? आवश्यक नहीं
- (ii) क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है? आवश्यक नहीं
- (iii) क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है? आवश्यक नहीं
- (iv) वर्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है? आवश्यक नहीं
- (v) नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है? आवश्यक नहीं
- (ख) (i) क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है? आवश्यक नहीं
- (ii) कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है? आवश्यक नहीं
- (iii) किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है? आवश्यक नहीं
- (ग) क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है? आवश्यक नहीं
19. अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ? आवश्यक नहीं

बिहार सरकार

खेल विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना
ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-01/2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा
नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के
लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर
सौंपने हेतु सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव है।

मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण होने के
उपरांत कई अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन होने की
संभावना है। इससे राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने
का अवसर मिलेगा एवं साथ ही राज्य में खेल के विकास को भी बल मिलेगा
एवं राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

Rajendra
14.3.2024

(डॉ० बी० राजेन्द्र),

सरकार के प्रधान सचिव,

खेल विभाग,

बिहार, पटना।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

—: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :—

विभाग का नाम :— खेल विभाग।

संचिका संख्या :— 01/खेल-04/2024...../

विषय :— मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।


निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।	मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण होने के उपरांत कई अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन होने की संभावना है। इससे राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा एवं साथ ही राज्य में खेल के विकास को भी बल मिलेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।	एक सप्ताह।

हस्ताक्षर :—

नाम :— डॉ० बी० राजेन्द्र

पदनाम :— प्रधान सचिव

खेल विभाग,
बिहार, पटना।


14/3/2024